शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध/द्वारा फैक्स

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्या:अठ्ठारह–233–2016(निरीक्षक–लिपिक) दिनांक:जुलाई 19,2016

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय : पुलिस निरीक्षक (लिपिक) की सम्मिलित अनन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रख्यापन।

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक:23.07.2015 को प्रख्यापित ''उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015'' में निहित प्रावधानों के अनुसार पुलिस निरीक्षक (लिपिक) के पद पर नियुक्त कार्मिकों की पदोन्नति की कार्यवाही वरिष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़कर की जानी है। अतः पुलिस निरीक्षक (लिपिक) की अन्तिम निर्विवाद वरिष्ठता सूची तैयार करने हेतु पुलिस निरीक्षक (लिपिक) की अनन्तिम **(Tentative)** वरिष्ठता सूची तैयार की गयी है, जो **http://uppolice.gov.in में 'Karmik' folder में Internet** पर प्रदर्शित की जा रही है। कृपया अपने सिस्टम/कम्प्यूटर पर **Download** करके'' अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मियों को सूचित कराये तथा कृत कार्यवाही से पुलिस मुख्यालय को अवगत करायें।

2. अपने कार्यालय में नियुक्त उक्त कर्मियों के बारे में अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अंकित सूचनाओं का परीक्षण अपने मुख्यालय/कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से करा लें तथा यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसके बारे में साक्ष्य/अभिलेखीय प्रमाण सहित पुलिस मुख्यालय को अवगत कराये, जिससे त्रुटियों को सुधार कर अन्तिम रूप देते हुए निर्विवाद अन्तिम वरिष्ठता सूची निर्गत की जा सके।

3. अतः कृपया आप पुलिस की उक्त वेबसाइड पर अपलोड सूची में अंकित अपने कार्यालय में नियुक्त सम्बन्धित कर्मियों को तत्काल सूचित करते हुए निर्देशित करें कि उक्त अपलोड की गयी सूची में अंकित विवरण के सम्बन्ध में किसी कर्मी को कोई आपत्ति हो तो वे उसके सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन, उपलब्ध अभिलेखों आदि की छायाप्रतियों सहित दिनांक: **31.07.2016** तक आपके माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है। कर्मी के प्राप्त प्रत्यावेदन का उनके सेवाभिलेखों के आलोक में अपने स्तर पर परीक्षण भी कर लिया जाये तथा अपनी टिप्पणी/संस्तुति सहित **दिनांक: 02.08.2016** तक प्रत्येक दशा में पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उस पर नियमानुसार विचारोपरान्त यथोचित निर्णय लेकर वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया जा सके। इसके पश्चात कोई प्रत्यावेदन/टिप्पणी पर पुलिस मुख्यालय द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

4– पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) से पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति पाये अपने जनपद/इकाई के कार्मिकों के पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो अनंतिम वरिष्ठता सूची में अंकित नहीं है अथवा त्रुटिपूर्ण है, के संबंध में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि सही अंकित कर उपलब्ध कराया जाय।

5– यह भी स्पष्ट करना है कि जिन जनपदों/इकाईयों द्वारा **दिनांक:02.08.2016** तक अपनी सुस्पष्ट टिप्पणी सहित कर्मी का प्रत्यावेदन पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उनके सम्बन्ध में यह मानते हुये कि उनके यहाँ कार्यरत कर्मियों को अनन्तिम वरिष्ठता सूची

से कोई आपत्ति नहीं है। अनन्तिम सूची को अन्तिम रूप प्रदान कर दिया जायेगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वरिष्ठता के संबंध में कर्मियों द्वारा पूर्व में दिये गये प्रत्यावेदनों को निरस्त समझा जाय। **इस महत्वपूर्ण विषय को गम्भीरता प्रदान किया जाय।**

6— यदि आपके कार्यालय में नियुक्त कोई पुलिस निरीक्षक (लिपिक) अन्यत्र स्थानान्तरित/सम्बद्ध हो गया हो या प्रतिनियुक्ति पर हो तो उसे भी अपने स्तर से तैयार की गयी वरिष्ठता के बारे में अवगत कराते हुये कृत कार्यवाही से पुलिस मुख्यालय को अवगत करायें।

7— प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः अनुरोध है कि अपेक्षित कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करायी जाय। प्रकरण में सर्वोच्च वरीयता अपेक्षित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार(अनन्तिम वरिष्ठता सूची)

(ए0के0 शुक्ल) 19/7
पुलिस उप महानिरीक्षक,स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर पुलिस महानिदेशक (कार्मिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5— अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6— पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7— पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपिःपुलिस उप—महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया संलग्न पुलिस निरीक्षक (लिपिक) की सम्मिलित अनन्तिम वरिष्ठता सूची को पुलिस की बेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः(अनन्तिम वरिष्ठता सूची)